कार्यालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

प्ररूप – ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

प्र0 क0 8 अ 82/19–20 मौजा सहनगांव 2957 दिनांक 31/10/2019

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित मे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम बिसनूर तहसील मुलताई जिला बैतूल मे स्थित बी. पी. टी. से गेंविटी मेन हेतु 600 एम. एम. व्यास के पाईप तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स करण डेव्हलपमेंट सर्विसेस प्रा. लि. ग्वालीयर द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन, बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची मे वर्णित भूमि मे हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशित होती है इक्किस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई जिला बैतूल मध्यप्रदेश को लिखित आक्षेप भेज सकेगा ।

जिला	तहसील	ग्राम /पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर मे)
1	2	3	4	5
बैतूल	मुलताई	सहनगांव, प. ह.न.	192	0.002
			196	0.005
			199	0.023
			203	0.006
			198/1	0.001
			204	0.006
			209/4	0.011
			211/1	0.009
			234	0.027
			220	0.002
			224/1	0.003
			224/2	0.004
			222	0.008
			372	0.012
			योग	0.119

दिनांकः–31/10/19

स्थान :– मुलताई

सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई

2957

प्र0क0 8 अ–82 / वर्ष 19–20 / भू–अर्जन / मौजा सहनगांव / मुलताई दिनांक 31 / 10 / 2019
प्रतिलिपि :–

1– उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रनालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रनालय, म0 प्र0 भोपाल की ओर म0 प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित् ।

2– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पाच प्रतियों में) अग्रेषित् । कृपया उक्त प्ररूप 'ख' का प्रकाशन जिले में संर्वाधिक प्रकाशित एक प्रदेश स्तर दैनिक एवं स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रो कराया जाकर इस कार्यालय को समाचार पत्रो की प्रति भेजने का कष्ट करे ।

3– कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रषित् । प्ररूप 'ख' का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर मे कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय मे भेजी जावे साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल (एन आइ सी) की ओर समूचित सरकार की वेबसाइट WWW.betul.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित् ।

5– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित् । एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाये तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।

6– तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित् । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे । एवं एक प्रति मे पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करे ।

7– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित् । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) (भू–अर्जन शाखा) मुलताई को उपलब्ध करावे

8– सरपंच / सचिव ग्राम सहनगांव तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर प्ररूप 'ख' का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित् ।

सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई